विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874

(1874 का अधिनियम संख्यांक 15)[1]

[8 दिसम्बर, 1874]

**कतिपय अधिनियमितियों का स्थानीय विस्तार
घोषित करने के लिए और अन्य
प्रयोजनों के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—विधियां और विनियम बनाने के प्रयोजनार्थ समवेत भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल, भारत की विधायी परिषद् और भारत के गवर्नर जनरल की परिषद् द्वारा पारित कतिपय अधिनियमों का स्थानीय विस्तार घोषित करना समीचीन है ;

और फोर्ट सेंट जार्ज और मुम्बई की प्रेसिडेंसियों में और बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के निचले और उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों में कतिपय अधिनियमों और विनियमों के स्थानीय विस्तार से संबंधित विधियों का समेकन करना भी समीचीन है ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह घोषित और अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 है ।

2. निर्वचन खण्ड—इस अधिनियम में "अनुसूचित जिले" पद से इससे उपाबद्ध छठी अनुसूची में उल्लिखित राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं ।

3. प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों का स्थानीय विस्तार—इससे उपाबद्ध प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम अब [2][[3][उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों] और] अनुसूचित जिलों [2][[3][में समाविष्ट थे] सम्पूर्ण भारत में] प्रवृत्त हैं ।

4. द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों का स्थानीय विस्तार—इससे उपाबद्ध द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियां अब, उन अनुसूचित जिलों के सिवाय जो फोर्ट सेंट जार्ज के सपरिषद् गवर्नर के शासनाधीन है, इस समय ऐसे शासनाधीन समस्त राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त हैं ।

5. तृतीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों का स्थानीय विस्तार—इससे उपाबद्ध तृतीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियां अब, उन अनुसूचित जिलों के सिवाय जो मुम्बई के सपरिषद् गवर्नर के शासनाधीन हैं, इस समय ऐसे शासनाधीन समस्त राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त हैं ।

6. चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों का स्थानीय विस्तार—इससे उपाबद्ध चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियां अब, उन अनुसूचित जिलों के सिवाय जो बंगाल के लेफ्टिनेंट-गवर्नर के शासनाधीन हैं, इस समय ऐसे शासनाधीन समस्त राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त हैं ।

7. पंचम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों का स्थानीय विस्तार—इससे उपाबद्ध पंचम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियां अब, उन अनुसूचित जिलों के सिवाय जो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेन्सी के उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के लेफ्टिनेंट-गवर्नर के शासनाधीन हैं, इस समय ऐसे शासनाधीन समस्त राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त हैं ।

8. व्यावृत्तियां—इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उक्त प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी अधिनियम का किसी भी स्थान पर विस्तार करने की, शक्ति को वर्जित नहीं करेगी ;

(ख) ऐसे किसी अधिनियम का विस्तार नहीं करेगी जो उसका या उसके किसी भाग का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करती है और न ऐसी शक्ति के प्रयोग को किसी रीति से प्रभावित करेगी ;

(ग) किसी अनुसूचित जिले में इससे पूर्व विस्तारित या प्रवृत्त घोषित किसी अधिनियम या विनियम के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी ;

---

[1] जहां तक 1 जुलाई, 1890 को यथाविद्यमान संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) द्वारा प्रतिस्थापित किसी अधिनियमिति का संबंध है, यह अधिनियम मद्रास प्रान्त के कतिपय भागत: अपवर्जित क्षेत्र पर निरसित किया गया ।
देखिए 1940 का मद्रास विनियम सं० 6 ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत के सम्पूर्ण प्रान्तों में, सिवाय" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(घ) किसी ऐसी अधिनियमिति को पुन: प्रवर्तित नहीं करेगी जिसे साधारण रूप से या किसी विशेष विषय के संबंध में निरसित किया गया है ;

[1]* * * *

(ञ) कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई नगरों में से किसी नगर में ऐसी किसी विधि का विस्तार नहीं करेगी जो अब वहां प्रवृत्त नहीं है ;

[2][(ञञ) मिर्जापुर जिले में परगना भदोई या परगना केड़ा मारोर में या बनारस जिले में परगना कसवा राजा में, ऐसी किसी विधि का विस्तार नहीं करेगी जो अब वहां प्रवृत्त नहीं है ;]

(ट) ऐसी किसी अधिनियमिति के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी जो इससे उपाबद्ध अनुसूचियों में उल्लिखित नहीं है ।

9. [अधिनियमितियां निरसित ।]—निरसन अधिनियम, 1876 (1876 का 12) द्वारा निरसित ।

प्रथम अनुसूची[3]

(धारा 3 देखिए)

उच्चतम परिषद् के अधिनियम

वर्ष और	संख्या	विषय
[4]1837	4	भूमि अर्जन की शक्ति ।

[1] 1887 के अधिनियम सं० 8 द्वारा खण्ड (ङ) और खण्ड (ज), 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा खण्ड (च), 1890 के अधिनियम सं० 8 द्वारा खण्ड (छ) और 1894 के अधिनियम सं० 4 द्वारा खंड (झ) निरसित किए गए ।

[2] 1881 के अधिनियम सं० 14 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1874 का अधिनियम सं० 15, जहां तक निम्नलिखित अधिनियमितियों का संबंध है, प्रत्येक के सामने दर्शित अधिनियमों द्वारा निरसित किया जा चुका है, उन अधिनियमितियों के निर्देश इस अनुसूची से लोप कर दिए गए है :—

लोपित अधिनियमितियां	निरसन अधिनियम
1836 का अधिनियम सं० 26	1927 का अधिनियम सं० 12 ।
1840 का अधिनियम सं० 6	1881 का अधिनियम सं० 26 ।
1841 का अधिनियम सं० 11	1887 का अधिनियम सं० 8 ।
1841 का अधिनियम सं० 18	1878 का अधिनियम सं० 11 ।
1841 का अधिनियम सं० 19	1927 का अधिनियम सं० 12 ।
1842 का अधिनियम सं० 9	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1842 का अधिनियम सं० 12	1887 का अधिनियम सं० 8 ।
1847 का अधिनियम सं० 20	1927 का अधिनियम सं० 12 ।
1850 का अधिनियम सं० 34	विधि अनुकूलन आदेश, 1937 ।
1852 का अधिनियम सं० 30	1927 का अधिनियम सं० 12 ।
1852 का अधिनियम सं० 33	1887 का अधिनियम सं० 8 ।
1854 का अधिनियम सं० 18	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1854 का अधिनियम सं० 18	विधि अनुकूलन आदेश, 1937 ।
1859 का अधिनियम सं० 1	1923 का अधिनियम सं० 21 ।
1859 का अधिनियम सं० 3	1887 का अधिनियम सं० 8 ।
1859 का अधिनियम सं० 8	
1859 का अधिनियम सं० 14 की धारा 15	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1859 का अधिनियम सं० 15	
1860 का अधिनियम सं० 27	1889 का अधिनियम सं० 7 ।
1861 का अधिनियम सं० 9	1890 का अधिनियम सं० 8 ।
1861 का अधिनियम सं० 23	
1863 का अधिनियम सं० 6	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1864 का अधिनियम सं० 6	1927 का अधिनियम सं० 12 ।
1865 का अधिनियम सं० 11	1887 का अधिनियम सं० 9 ।
1865 का अधिनियम सं० 21	
1866 का अधिनियम सं० 5	1927 का अधिनियम सं० 12 ।
1866 का अधिनियम सं०10	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1867 का अधिनियम सं० 10	1887 का अधिनियम सं० 9 ।
1868 का अधिनियम सं० 10	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1869 का अधिनियम सं० 15	
1870 का अधिनियम सं० 1	1927 का अधिनियम सं० 12 ।

[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित ।

वर्ष और	संख्या	विषय
[1]1838	25	1866 की पहली जनवरी से पहले निष्पादित बिल ।
[2]1839	29	1866 की पहली जनवरी से पहले किए गए विवाह की दशा में दहेज ।
[1]1839	30	1866 की पहली जनवरी से पहले अवजनित विरासत ।
1839	32	ब्याज ।
1841	10	पोतों का रजिस्ट्रीकरण ।
[2]1843	5	दासता ।
[3]1850	5	तटवर्ती व्यापार ।
1850	11	नौपरिवहन विधियां ।
[4]1850	12	लोक लेखापालों का व्यतिक्रम ।
1850	18	न्यायिक अधिकारियों का संरक्षण ।
1850	19	शिक्षुओं का आबद्ध करना ।
1850	21	जाति विहीनता से अधिकारों का समपहरण न होना ।
1850	37	लोक सेवकों के आचार की जांच ।
[5]1853	2	भूमि पर भार ।
[2]1854	31	विशेष नियमाधीन प्रदत्त सम्पत्ति का छोड़कर, विवाहित स्त्रियों द्वारा हस्तांतर ।
[2]1855	11	अंत:कालीन लाभ और अभिवृद्धि ।
1855	12	निष्पादक और प्रशासक ।
1855	13	अनुयोज्य दोष द्वारा मृत्यु से हानि के लिए प्रतिकर ।
[2]1855	23	1866 की पहली जनवरी के पहले की वसीयतों या अवजननों के मामले में बंधकित सम्पदाओं का प्रबंध ।
[6]1855	24	शास्तिक सुविधा भार ।
1855	28	ब्याज ।
1856	9	वहनपत्र ।
[5]1856	11	यूरोपीय सिपाहियों द्वारा अभित्यजन ।
1856	15	हिन्दू विधवाओं का विवाह ।
[7]1857	11	राज्य के विरुद्ध अपराध ।
[7]1857	25	विद्रोहियों द्वारा समपहरण ।
[8]1858	35	उच्चतम न्यायालयों की अधिकारिता के अन्तर्गत नहीं आने वाले पागलों की सम्पदाएं ।
[7]1858	36	पागलखाने ।

[1] समाप्त हो गया ।
[2] 1952 के अधिनियम सं० 48 द्वारा निरसित ।
[3] 1839 के अधिनियम सं० 34 द्वारा निरसित ।
[4] 1886 के विनियम सं० 1 द्वारा असम में निरसित ।
[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित ।
[6] 1949 के अधिनियम सं० 17 द्वारा निरसित ।
[7] 1912 के अधिनियम सं० 4 द्वारा निरसित ।
[8] 1922 के अधिनियम सं० 4 द्वारा निरसित ।

वर्ष और	संख्या	विषय
1859	9	धारा 16, 17, 18 और 20—समपहरण ।
1860	21	सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण ।
1862	3	सरकारी मुद्रा ।
1863	16	कला और विनिर्माणों में प्रयुक्त स्पिरिट पर संदेय उत्पाद-शुल्क ।
[1]1863	23	बंजर भूमियों के दावे ।
[2]1863	31	भारत का राजपत्र ।
[3]1864	3	विदेशी ।
1865	3	सामान्य वाहक ।
[4]1865	15	पारसियों में विवाह और विवाह-विच्छेद ।
1866	21	देशी संपरिवर्तित व्यक्तियों के विवाह-विच्छेद ।
[5]1866	28	न्यासियों और बंधकदारों की शक्तियां ।
1867	25	मुद्रण प्रेस, आदि ।

द्वितीय अनुसूची[6]

(धारा 4 देखिए)

(क) मद्रास विनियम

वर्ष और	संख्या	विषय
1802	3	(धारा 1, धारा 16 का केवल एक भाग) सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया ।
1802	19	(धारा 2) प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवकों का उधार देने के लिए निषिद्ध होना ।
1802	25	भू-राजस्व का व्यवस्थापन ।
1802	26	(केवल धारा 1, 2 और 3) मालगुजारी भूमि का रजिस्ट्रीकरण ।

[1] 1943 के मुम्बई अधिनियम सं० 9 द्वारा मुम्बई में निरसित ।
[2] 1938 के अधिनियम सं० 1 द्वारा निरसित ।
[3] 1946 के अधिनियम सं० 31 द्वारा निरसित ।
[4] 1936 के अधिनियम सं० 3 द्वारा निरसित ।
[5] 1952 के अधिनियम सं० 48 द्वारा निरसित ।
[6] 1874 का अधिनियम सं० 15, जहां तक निम्नलिखित अधिनियमितियों का संबंध है, प्रत्येक के सामने दर्शित अधिनियमों द्वारा निरसित किया जा चुका है, उन अधिनियमितियों के निर्देश अनुसूची से लोप कर दिए गए हैं :—

लोपित अधिनियमितियां		निरसन अधिनियम
1802 का मद्रास विनियम सं० 3 की धारा 11	. .	1891 का अधिनियम सं० 12 ।]
1802 का मद्रास विनियम सं० 5 की धारा 30	. .	1901 का अधिनियम सं० 11 ।
1802 का मद्रास विनियम सं० 13	. .	1901 का अधिनियम सं० 11 ।
1805 का मद्रास विनियम सं० 1	. .	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1807 का मद्रास विनियम सं० 2	. .	
1816 का मद्रास विनियम सं० 4	. .	
1816 का मद्रास विनियम सं० 9 की धारा 43	. .	
1816 का मद्रास विनियम सं० 14	. .	
1816 का मद्रास विनियम सं० 5	. .	1927 का अधिनियम सं० 12 ।
1819 का मद्रास विनियम सं० 1	. .	1876 का अधिनियम सं० 12 ।
1819 का मद्रास विनियम सं० 2	. .	विधि अनुकूलन आदेश, 1937 ।
1821 का मद्रास विनियम सं० 4 की धारा 4		1876 का अधिनियम सं० 12 ।
1831 का मद्रास विनियम सं० 3	. .	
1832 का मद्रास विनियम सं० 7	. .	
1832 का मद्रास विनियम सं० 11	. .	1878 का अधिनियम सं० 6 ।
1832 का मद्रास विनियम सं० 14	. .	1889 का अधिनियम सं० 13 ।

वर्ष और	संख्या	विषय
[1]1802	29	करनाम ।
1803	1	राजस्व बोर्ड ।
1803	2	कलक्टरों आदि का आचरण ।
[2]1804	5	प्रतिपाल्य अधिकरण ।
1806	2	[3][(धारा 7 खण्ड 2)] कलक्टर और करनाम ।
[4]1808	7	सैन्य विधि ।
1816	11	धारा 8, 9, 10—ग्रामों के मुखिया ; धारा 11 खण्ड 1—चुराई हुई सम्पत्ति ; धारा 13—शवों का पता चलाना ; धारा 14—ग्रामों के मुखियों द्वारा परिरुद्ध व्यक्तियों का रजिस्टर ; और धारा 47—शान्ति बनाए रखने से भारित मजिस्ट्रेट ।
[5]1816	12	भूमि और उपज से संबंधित दावों का ग्रामों और जिला पंचायतों को निर्देश ।
1817	7	पुलों का अनुरक्षण, आदि, राजगामी सम्पत्ति ।
1817	8	(केवल धारा 9) भारतीय अधिकारियों और सिपाहियों की सम्पदा का भू-राजस्व की बकाया के लिए विक्रय ।
1822	4	1802 के मद्रास विनियम सं० 25 का स्पष्टीकरण ।
[6]1822	7	(केवल धारा 3 का खण्ड 1) राजस्व और अन्य लोक विभागों में भारतीय अधिकारी ।
1822 1823	9 3	लोक सेवकों द्वारा गबन और राजस्व के मामलों में भ्रष्टाचार ।
1828	7	अधीनस्थ और सहायक कलक्टरों की शक्तियां ।
1829	5	हिन्दू विल और सम्पदाएं ।
1830	1	विधवाओं के जलाने का प्रतिषेध ।
1831	5	(केवल धारा 7 खण्ड 2) अनुचित रूप से स्टाम्प लगाए हुए दस्तावेज को स्वीकार करने पर अनुसचिवीय अधिकारी का दायित्व ।
[7]1831	6	आनुवंशिक ग्राम पद ।
[8]1831	10	राजस्व की बकाया के लिए अवयस्कों की सम्पदा के विक्रय का प्रतिषेध ।
1832	3	1828 के मद्रास विनियम सं० 7 के अधीन, राजस्व प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध दावों के लिए परिसीमा ।

[1] 1894 के मद्रास अधिनियम सं० 2 द्वारा यह विनियम स्थानीय रूप से निरसित किया गया ।

[2] 1874 अधिनियम सं० 15, जहां तक 1804 के मद्रास विनियम सं० 5, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) द्वारा निरसित किया गया था, का संबंध है पश्चात् कथित अधिनियम द्वारा निरसित किया गया । विनियम, मद्रास कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, 1902 (1902 का मद्रास अधिनियम सं० 1) द्वारा निरसित किया गया ।

[3] धारा 1 और 7 के भाग मूल रूप से इस अनुसूची में निर्देशित किए गए थे । सम्पूर्ण विनियम की धारा 7 का दूसरा खण्ड ही अब लागू है, देखिए निरसन अधिनियम, 1876 (1876 का 12) की अनुसूची का भाग 3 ।

[4] 1922 का अधिनियम सं० 4 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

[5] मद्रास सर्वे एण्ड बाऊण्डरीज ऐक्ट, 1897 (1897 का मद्रास अधिनियम सं० 4) द्वारा 1816 का मद्रास विनियम सं० 12 उस सीमा तक निरसित किया गया जहां तक, यह भूमि और फसलों के उन दावों के मामलों को लागू होता, जिन दावों की विधिमान्यता अनिश्चित और विवादग्रस्त सीमा अथवा भूमि चिह्न के अवधारण पर निर्भर करती है ।

[6] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

[7] 1895 के मद्रास अधिनियम सं० 3 द्वारा निरसित ।

[8] 1874 का अधिनियम सं० 15, जहां तक इसका संबंध 1831 के मद्रास विनियम सं० 10 की धारा 3 से है, 1890 के अधिनियम सं० 8 द्वारा निरसित ।

(ख) मद्रास प्रेसिडेन्सी से संबंधित उच्चतम परिषद् के अधिनियम[1]

वर्ष और	संख्या	विषय
1837	36	कलक्टरों की दाण्डिक अधिकारिता ।
1839	7	तहसीलदार ।
[2]1840	8	पंचायतों के अधिनिर्णय ।
[3]1846	1	प्लीडर ।
1849	10	राजस्व आयुक्त ।
[3]1853	20	प्लीडर ।
1857	7	प्रसंविदा मुक्त अभिकरण ।
1858	1	अनिवार्य श्रम ।
1859	24	पुलिस ।

तृतीय अनुसूची[4]

(धारा 5 देखिए)

(क) मुम्बई विनियम

वर्ष और	संख्या	विषय
1827	2	धारा 21 (जाति सबंधी प्रश्न) [5]*** ।

[1] 1874 का अधिनियम सं० 15, जहां तक निम्नलिखित अधिनियमितियों का संबंध है, प्रत्येक के सामने दर्शित अधिनियमों द्वारा निरसित किया जा चुका है, उन अधिनियमितियों के निर्देश इस अनुसूची से लोप कर दिए गए हैं :—

लोप की गई अधिनियमितियां	निरसन अधिनियम
1838 का अधिनियम सं० 12	1878 का अधिनियम सं० 6 ।
1840 का अधिनियम सं० 17 और 1852 का अधिनियम सं० 7	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1844 का अधिनियम सं० 6	1937 का अधिनियम सं० 3 ।
1846 का अधिनियम सं० 9	1927 का अधिनियम सं० 12 ।
1855 का अधिनियम सं० 10 की धारा 10	1901 का अधिनियम सं० 11 ।
1855 का अधिनियम सं० 14	1887 का अधिनियम सं० 8 ।
1855 का अधिनियम सं० 21 और 1856 का अधिनियम सं० 8	1927 का अधिनियम सं० 12 ।
1858 का अधिनियम सं० 14	1890 का अधिनियम सं० 8 ।
1860 का अधिनियम सं० 28	1927 का अधिनियम सं० 12 ।
1869 का अधिनियम सं० 11	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1869 का अधिनियम सं० 24	1877 का अधिनियम सं० 18 ।

[2] 1931 के मद्रास अधिनियम सं० 7 द्वारा निरसित ।

[3] मद्रास प्रेसिडेंसी में 1846 के अधिनियम सं० 1 और 1853 के अधिनियम सं० 20 के निरसन के बारे में देखिए विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 (1879 का 18) की धारा 1 और 42 ।

[4] 1874 के अधिनियम सं० 15, प्रत्येक के सामने दर्शित अधिनियमों द्वारा जहां तक निम्नलिखित अधिनियमितियों का संबंध है, निरसित कर दिया गया था, उन अधिनियमितियों के निर्देश अनुसूची से लोप कर दिए गए हैं :—

लोपित अधिनियमितियां	निरसन अधिनियम
1827 का बाम्बे विनियम सं० 12, उद्देशिका 1827 का बाम्बे विनियम सं० 16 1827 का बाम्बे विनियम सं० 21, धारा 1-6, 46, 54-73	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1827 का विनियम सं० 22, धारा 18-20, 45-47	1889 का अधिनियम सं० 13 ।
1827 का विनियम सं० 25	विधि अनुकूलन आदेश, 1937 ।

[5] 1927 के अधिनियम सं० 12 द्वारा कतिपय शब्द निरसित ।

वर्ष और	संख्या	विषय
1827	4	धारा 26 (वादों को लागू विधि) ; धारा 69 खण्ड दो और तीन (फसलों की कुर्की और करस्थम्) ।
1827	5	उद्देशिका ; धारा 9 (ऋण की अभिस्वीकृति) ; धारा 14 (ब्याज) ; धारा 15 (बन्धक और गिरवी) ।
1827	8	सम्पदाओं का प्रबंध ।
1827	12	धारा 19 (नियम बनाने की मजिस्ट्रेटों की शक्ति) ; धारा 20 (बाट और माप मानक) ; धारा 27, खण्ड 2 (संदिग्ध व्यक्तियों का पर्यवेक्षण) ; धारा 31, खण्ड प्रथम और द्वितीय (ग्रामों का लूट के लिए उत्तरदायित्व) ।
1827	13	धारा 34, तृतीय खण्ड (समनों के लिए प्रतिस्थापित पत्र) ।
1827	22	धारा 40, 41, 42, 43 (सैन्य दल का यात्रा व्यय) ।
[1]1830	5	धारा 1 (राजस्व आयुक्त) ; धारा 2, खण्ड 1, 2, 3 (कलक्टर और उप-कलक्टर) ।
1830	13	जागीरदारों की सिविल अधिकारिता ।
[1]1831	15	ग्राम-पटेल ।
[1]1832	2	राजस्व की वसूली ।
[1]1833	5	आनुवंशिक अधिकारी ।

(ख) मुम्बई प्रेसिडेन्सी से सम्बन्धित उच्चतम परिषद् के अधिनियम[2]

वर्ष और	संख्या	विषय
[3]1838	16	न्यायपालिका ।
[4]1838	18	प्रतिभू ।
1838	19	तटवर्ती जलयान ।
[5]1839	20	राजस्व ।
[6]1840	15	विदेशी प्रतिभुओं के अभिकर्ता ।
[4]1842	13	राजस्व ।

[1] 1879 के बाम्बे अधिनियम सं० 5 द्वारा स्थानीय रूप से 1827 के बाम्बे विनियम सं० 4 की धारा 69 तथा 1830 के बाम्बे विनियम सं० 5, 1831 के बाम्बे विनियम सं० 15, 1832 के बाम्बे विनियम सं० 2 और 1833 के बाम्बे विनियम सं० 5 को निरसित किया गया ।

[2] 1874 का अधिनियम सं० 15 जहां तक निम्नलिखित अधिनियमितियों का संबंध है, प्रत्येक के सामने दर्शित अधिनियमों द्वारा निरसित किया गया था, उन अधिनियमितियों के निर्देश इस अनुसूची से लोप कर दिए गए हैं :—

लोपित अधिनियमितियां	निरसन अधिनियम
1843 का अधिनियम सं० 11 . . .	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1852 का अधिनियम सं० 3 . . .	
1852 का अधिनियम सं० 21 . . .	
1855 का अधिनियम सं० 10 की धारा 10 . . .	1901 का अधिनियम सं० 11 ।
1856 का अधिनियम सं० 8 . . .	1894 का अधिनियम सं० 9 ।
1864 का अधिनियम सं० 20 . . .	1890 का अधिनियम सं० 8 ।

[3] 1953 के बाम्बे अधिनियम सं० 18 द्वारा निरसित ।

[4] बाम्बे लैंड-रेवेन्यू कोड, 1879 (1879 का बाम्बे सं० 5) द्वारा 1838 का अधिनियम सं० 18, 1842 का अधिनियम सं० 13 और 17 तथा 1846 का अधिनियम सं० 3 स्थानीय रूप से निरसित । 1838 के अधिनियम सं० 18 का 1940 के अधिनियम सं० 32 द्वारा निरसन ।

[5] 1952 के अधिनियम सं० 48 और 1953 के बाम्बे अधिनियम सं० 18 द्वारा निरसित ।

[6] मुम्बई में 1953 के बाम्बे अधिनियम सं० 18 द्वारा निरसित ।

वर्ष और	संख्या	विषय
[1]1842	17	राजस्व आयुक्त ।
[2]1844	19	नगर शुल्कों का उत्सादन ।
[3]1846	1	प्लीडर ।
[1]1846	3	धारा 1, 5 और 6—सीमा चिह्न ।
[3]1853	20	प्लीडर ।

चतुर्थ अनुसूची[4]

(धारा 6 देखिए)

(क) बंगाल विनियम (निचले प्रांत)

वर्ष और	संख्या	विषय
1793	1	शाश्वत बन्दोबस्त ।
1793	2	भू-राजस्व का संग्रहण ।
1793	8	दस वर्षीय बन्दोबस्त के लिए नियम ।
1793	11	राजस्व देने वाली भूमि की विरासत की भारतीय विधियां ।
1793	19	राजस्व से छूट प्राप्त भूमियों पर हक ।
1793	37	बादशाही अनुदानों के अधीन राजस्व से छूट प्राप्त भूमियों पर हक ।
1793	38	धारा 1 उद्देशिका : धारा 2—प्रसंविदाबद्ध सेवक द्वारा उधार दिए जाने का प्रतिषेध ।
1794	3	धारा 13, 16, 17, 19 और 20—राजस्व की बकाया ।
1799	5	भारतीयों के विल और निर्वसीयतता ।
1800	8	भूमियों का परगना रजिस्टर ।

[1] बाम्बे लैंड-रेवेन्यू कोड, 1879 (1879 का बाम्बे सं० 5) द्वारा 1838 का अधिनियम सं० 18, 1842 का अधिनियम सं० 13 और 17 तथा 1846 का अधिनियम सं० 3 स्थानीय रूप से निरसित । 1838 के अधिनियम सं० 18 का 1940 के अधिनियम सं० 32 द्वारा निरसन ।

[2] मुम्बई में 1953 के बाम्बे अधिनियम सं० 18 द्वारा निरसित ।

[3] बोम्बे प्रेसिडेंसी में 1846 के अधिनियम सं० 1 और 1853 के अधिनियम सं० 20 के निरसन के बारे में देखिए विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 (1879 का 18) की धारा 1 और 42 ।

[4] 1874 का अधिनियम सं० 15, जहां तक निम्नलिखित अधिनियमितियों का संबंध है, प्रत्येक के सामने दर्शित अधिनियमों द्वारा निरसित किया गया था, उन अधिनियमितियों के निर्देश इस अनुसूची से लोप कर दिए गए हैं :—

लोपित अधिनियमितियां	निरसन अधिनियम
1793 का अधिनियम सं० 48	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1794 का बंगाल विनियम सं० 3 की धारा 12	
1795 का बंगाल विनियम सं० 58 की धारा 3 और 4	1876 का अधिनियम सं० 12 ।
1797 का बंगाल विनियम सं० 15	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1798 का बंगाल विनियम सं० 1	
1806 का बंगाल विनियम सं० 17 की धारा 7 और 8	
1810 का बंगाल विनियम सं० 20	1889 का अधिनियम सं० 13 ।
1811 का बंगाल विनियम सं० 11	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1814 का बंगाल विनियम सं० 19	
1817 का बंगाल विनियम सं० 5	1878 का अधिनियम सं० 6 ।
1817 का बंगाल विनियम सं० 20 की धारा 28 और धारा 32	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1818 का बंगाल विनियम सं० 3	विधि अनुकूलन आदेश, 1937 ।
1819 का बंगाल विनियम सं० 6	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1825 का बंगाल विनियम सं० 20	1882 का अधिनियम सं० 10 ।
1829 का बंगाल विनियम सं० 4	1876 का अधिनियम सं० 12 ।

वर्ष और	संख्या	विषय
1801	1	राजस्व की बकाया, संयुक्त संपदा का विभाजन ।
[1]1804	10	कतिपय राज्य अपराधों के लिए सेना न्यायालय द्वारा दण्ड दिया जाना ।
1806	11	सैन्य दलों का यात्रा व्यय ।
1810	19	पुलों का अनुरक्षण आदि ; राजगामी संपत्ति ।
1812	5	भू-राजस्व का संग्रहण ।
1812	11	विदेशी उत्प्रवासियों को हटाना ।
1817	20	धारा 20—नमक और अफीम विभागों में दाण्डिक प्रक्रिया—धारा 30, खण्ड 1, 2 और 5—किलों का निर्माण, सिपाहियों और स्टोर का संग्रह करना, मार्गों पर अधिक्रमण ।
1819	2	राजस्व मुक्त भूमियों का पुनर्ग्रहण ।
1821	4	कलक्टरों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां ।
[2]1822	3	भू-राजस्व के बोर्ड ।
1822	11	धारा 36—सरकार द्वारा खरीदों का खास प्रबन्ध । धारा 38—न्यायालयों की गलतियों के लिए सरकार का दायी न होना ।
1823	6	नील संविदाएं ।
1823	7	प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवकों को उधार दिए जाने का प्रतिषेध ।
1825	6	सैन्य दलों का यात्रा व्यय ।
1825	9	व्यतिक्रमी माल-गुजार ।
1825	11	जलोढ़ और आप्लाव निक्षेप ।
1825	13	पुन: गृहीत लखीराज भूमि का बंदोबस्त ।
1825	14	लखीराज भू-धृतियों की पुष्टि का प्राधिकार ; देशी अनुदान ।
[1]1827	3	धारा 5—साक्ष्य ।
1827	5	कुर्की के अधीन सम्पदाओं का प्रबंध ।
1828	3	राजस्व प्राधिकारियों के विनिश्चयों से अपील ।
1828	4	धारा 1 और धारा 2 खण्ड 4—समय जिसके दौरान कलक्टरों को बंदोबस्त करने में लगा हुआ समझा जाए ।
1829	1	राजस्व आयुक्त और राजस्व बोर्ड ।
1829	17	विधवाओं का जलाना ।
1830	5	धारा 1 और 5—नील संविदाएं ।

(ख) निचले प्रांतों से सम्बन्धित उच्चतम परिषद् के अधिनियम[3]

वर्ष और	संख्या	विषय
1836	10	नील संविदा ।

[1] विशेष विधि निरसन अधिनियम, 1922 (1922 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

[2] बंगाल बोर्ड आफ रेवेन्यू ऐक्ट, 1913 (1913 का बंगाल अधिनियम सं० 2) द्वारा निरसित ।

[3] 1874 का अधिनियम सं० 15, जहां तक निम्नलिखित अधिनियमितियों का संबंध है, प्रत्येक के सामने दर्शित अधिनियमों द्वारा निरसित किया जा चुका है, उन अधिनियमितियों के निर्देश इस अनुसूची से लोप कर दिए गए हैं :—

लोपित अधिनियमितियां	निरसन अधिनियम
1836 का अधिनियम सं० 20 1838 का अधिनियम सं० 11	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1853 का अधिनियम सं० 19 की धारा 26	1903 का अधिनियम सं० 1 ।
1856 का अधिनियम सं० 20 1856 का अधिनियम सं० 21	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1858 का अधिनियम सं० 40	1890 का अधिनियम सं० 8 ।
1860 का अधिनियम सं० 23	1891 का अधिनियम सं० 12 ।

वर्ष और	संख्या	विषय
1836	21	जिलों का बनाया जाना ।
1841	12	धारा 2—भू-राजस्व की बकाया पर कोई ब्याज न होना ।
1847	9	नई भूमियों का निर्धारण ।
1848	20	भू-राजस्व ।
[1]1850	44	राजस्व बोर्ड ।
[2]1855	32	बांध ।
1856	12	सिविल न्यायालय अमीन ।
1857	13	अफीम ।
1858	31	जलोढ़ का बन्दोबस्त ।
1859	11	राजस्व की बकाया के लिए विक्रय ।

पांचवीं अनुसूची[3]

(धारा 7 देखिए)

(क) बंगाल विनियम (उत्तर-पश्चिमी प्रांत)[3]

वर्ष और	संख्या	विषय
1793	38	धारा 1—उद्देशिका, धारा 2—प्रसंविदाबद्ध सेवकों द्वारा उधारों का प्रतिषेध
1799	5	भारतीयों के विल और उनका प्रशासन
[4]1804	10	कतिपय राज्य अपराधों में सेना न्यायालयों द्वारा दण्ड ।
1806	11	सैन्य दल का यात्रा व्यय ।
1812	11	विदेशी उत्प्रवासियों को हटाया जाना ।
1822	11	धारा 38—न्यायालयों की गलतियों के लिए सरकार का दायी न होना
1823	6	नील संविदाएं

[1] बंगाल बोर्ड आफ रेवेन्यू ऐक्ट, 1913 (1913 का बंगाल अधिनियम सं० 2) द्वारा निरसित ।

[2] बंगाल एम्बैंकमेंट्स ऐक्ट, 1873 (1873 का बंगाल अधिनियम सं० 6) द्वारा 1855 के अधिनियम सं० 32 को स्थानीय रूप में बंगाल में निरसित किया गया ।

[3] 1874 का अधिनियम सं० 15, जहां तक निम्नलिखित अधिनियमितियों का संबंध है, प्रत्येक के सामने दर्शित अधिनियमों द्वारा निरसित किया जा चुका है, उन अधिनियमितियों के निर्देश इस अनुसूची से लोप कर दिए गए हैं :—

लोपित अधिनियमितियां	निरसन अधिनियम
1798 का बंगाल विनियम सं० 1	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1806 का बंगाल विनियम सं० 17 की धारा 7 और 8	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1810 का बंगाल विनियम सं० 19	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1810 का बंगाल विनियम सं० 20	1889 का अधिनियम सं० 13 ।
1817 का बंगाल विनियम सं० 5	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1818 का बंगाल विनियम सं० 3	विधि अनुकूलन आदेश, 1937 ।
1819 का बंगाल विनियम सं० 6	1891 का अधिनियम सं० 12 ।
1825 का बंगाल विनियम सं० 20	1882 का अधिनियम सं० 10 ।
1831 का बंगाल विनियम सं० 6 की धारा 6	1819 का अधिनियम सं० 12 ।
1831 का बंगाल विनियम सं० 11 की धारा 4 और 8	1819 का अधिनियम सं० 12 ।
1833 का बंगाल विनियम सं० 1	1875 का अधिनियम सं० 8 ।

[4] 1922 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

वर्ष और	संख्या	विषय
1823	7	प्रसिवंदाबद्ध सिविल सेवकों को उधार दिए जाने का प्रतिषेध ।
1825	6	सैन्य दल का यात्रा व्यय
1825	11	जलोढ़ और आप्लाव निक्षेप
1827	3	धारा 5—साक्ष्य
1827	5	कुर्की के अधीन संपदाओं का प्रबन्ध
1829	17	विधवाओं को जलाना
1830	5	धारा 1 और 5—नील संविदाएं
1831	11	धारा 1, 2, 5, 6—तहसीलदारों की पुलिस शक्तियां ।
1833	9	उप-कलक्टर ।

(ख) उत्तर-पश्चिमी प्रांतों से सम्बन्धित उच्चतम परिषद् के अधिनियम[1]

वर्ष और	संख्या	विषय
1836	10	नील संविदाएं ।
1854	16	पुलिस ।
1856	12	सिविल न्यायालय अमीन ।
[2]1856	20	चौकीदार ।
1857	13	अफीम ।

छठी अनुसूची

(धारा 2, 3, 5, 6 और 7 देखिए)

भाग 1

मद्रास के अनुसूचित जिले

I—गंजाम में

(1) गुमसुर मलिया, जिसमें चौकापाड़ भी है ।

(2) सुराडा मलिया ।

(3) चिन्ना किमेडी मलिया ।

(4) पेद्दा किमेडी मलिया ।

(5) वोड़ा गुड़ा मलिया ।

(6) सुरंगी मलिया ।

(7) पारला किमेडी मलिया ।

(8) कोराड़ा और रोनाबा के मुत्ता (जो अन्यथा श्रीकर्म कहलाते हैं) ।

(9) [3]* * * *

(10) जुराडा मलिया ।

(11) जलत्रा मलिया ।

(12) मन्दासा मलिया ।

(13) बुद्रासिंघी मलिया ।

(14) कुटिंगिया मलिया ।

---

[1] 1874 का अधिनियम सं० 15, जहां तक निम्नलिखित अधिनियमितियों का संबंध है, प्रत्येक के सामने दर्शित अधिनियमों द्वारा निरसित किया जा चुका है, उन अधिनियमितियों के निर्देश इस अनुसूची से लोप कर दिए गए हैं :—

लोपित अधिनियमितियां		निरसन अधिनियम
1836 का अधिनियम सं० 21 1853 का अधिनियम सं० 19 की धारा 26	}	1903 का अधिनियम सं० 1 ।
1858 का अधिनियम सं० 40		1890 का अधिनियम सं० 8 ।

[2] यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 (1914 का यू० पी० अधिनियम सं० 2) की धारा 41 द्वारा 1856 का अधिनियम सं० 20 उत्तर प्रदेश में निरसित किया गया ।

[3] 1881 के अधिनियम सं० 12 द्वारा मद (9) "चिघाटी मालिहा" निरसित किया गया ।

II—विशाखापत्तनम में

(1) जेपुर जमींदारी

(2) बोढ़रू नदी के पश्चिम में गोलकुंड़ा पहाड़ियां ।

(3) मुड़गोल मलिया ।

(4) कासीपुर जमींदारी ।

(5) पंछीपेटा मलिया ।

(6) मैरंगी जमींदारी में भीडेमकोला ।

[1][(7) मेरंगी का कोंडा मुत्ता ।]

(8) कुरपम के गुम्मा और कोंडा मुत्ता ।

(9) पालकुंडा के कुरपम, राम और कोंडा मुत्ता ।

III—गोदावरी जिले में[2]

(1) भद्राचलम तालुक ।

(2) रैकापिल्ली तालुक ।

(3) राम्पा प्रदेश ।

IV—हिन्द महासागर में

लक्काद्वीप द्वीपसमूह जिसमें मिनिकाय भी है ।

भाग 2

मुम्बई के अनुसूचित जिले

I—सिन्ध प्रांत[3]

[4]* * * *

III—अदन[5]

IV—निम्निलिखित महवासी प्रमुखों के स्वामित्वाधीन ग्राम

(1) काठी का परवी ।

(2) नाल का परवी ।

(3) सिंगपुर का परवी ।

(4) गावहल्ली का वल्ली ।

(5) चिखली का वासवा ।

(6) नवलपुर का परवी ।

---

[1] 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा "(7) बेलगाम का कोंडा मुत्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] गोलकुंडा पहाड़ियों में दुचारती और गुडीतेरू मुत्ताओं को विशाखापत्तनम से गोदावरी जिले में अंतरित कर दिया गया है । देखिए फोर्ट सैंट जार्ज गजट, 1881, भाग 1, पृ० 336 ।
अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) के प्रयोजन के लिए गोदावरी जिले के कुछ गांव और संम्पदाएं अनुसूचित जिले बन गए ; किन्तु विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 के अर्थ में वे अनुसूचित जिले नहीं हैं ।

[3] 15 अगस्त, 1947 से भारत का भाग नहीं रहा ।

[4] 1885 के अधिनियम सं० 7 द्वारा, 1 मई, 1895 से, मद 2 "पंच महल" निरसित ।

[5] 1 अप्रैल, 1937 से अदन भारत का भाग नहीं रहा ।

भाग 3

बंगाल के अनुसूचित जिले

I—जलपाई गुड़ी और दार्जिलिंग [1][जिले]

II—चटगांव के पहाड़ी भू-भाग[3]

III—सन्थाल परगना

IV—छुटिया नागपुर खंड[2]

V—अंगुल और बंकी के महाल[4]

भाग 4

उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के अनुसुचित जिले

[5]* * * *

II—कुमाउं और गढ़वाल प्रांत

III—तराई परगना जिसमें—बाजपुर, काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, किल-पुड़ी, नानक मत्ता और बिलहेड़ी समाविष्ट हैं

IV—मिर्जापुर जिले में

(1) परगना अगोरी में अगोरी खास और साउथकोण के टप्पा ।

(2) सिंघरौली परगना में ब्रिटिश सिंधरौली के टप्पा ।

(3) परगना बीचीपुर में फुलवा, दुधी और बड़हा के टप्पा ।

(4) कैमूर श्रेणी के दक्षिण में स्थित भाग ।

[6]* * * * *

IV—देहरादून जिले में जौनसार बाबर नाम से ज्ञात भू-भाग

भाग 5

पंजाब के अनुसूचित जिले

हजारा, पेशावर, कोहाट, बन्नु, डेरा इस्माइलखां, डेरा गाजीखां, लाहोल और स्पिति के जिले[7]

---

[1] 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा "खण्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] रायपुर और खात्र थाने, जो छुटिया नागपुर खण्ड का भूतपूर्व भाग थे बांकुरा जिले को अंतरित कर दिए गए और 1 अक्टूबर, 1879 से अनुसूचित जिले नहीं रहे । देखिए रायपुर और खात्र विधि अधिनियम, 1879 (1879 का 19)
अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 के प्रयोजन के लिए पोरहाट की एस्टेट अब छुटिया नागपुर खण्ड अनुसूचित जिले का भाग बन गया । देखिए पोरहाट एस्टेट ऐक्ट, 1893 (1893 का 2) की धारा 3 किन्तु विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 के अर्थ में यह "अनुसूचित जिला" नहीं है ।

[3] 15 अगस्त, 1947 से भारत का भाग नहीं रहा ।

[4] 1 अप्रैल 1882 से बंकी का महाल अनुसूचित जिला नहीं रहा, देखिए बंकी लाज ऐक्ट, 1881 (1881 का 25) । उड़ीसा में खोंडामल जो पहले अंगुल जिला के भाग थे (देखिए अंगुल लाज रेगुलेशन, 1913 (1913 का 3) और अब स्वतंत्र जिला बन गया [देखिए खोंडामल लाज रेगुलेशन, 1936 (1936 का 4)], अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जिले बन गए, किन्तु विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 के अर्थ में वे "अनुसूचित जिला" नहीं हैं ।

[5] 1890 के अधिनियम सं० 20 की धारा 8(1) द्वारा मद 1, "झांसी खण्ड, जिसमें झांसी, जालौन और ललितपुर के जिले समाविष्ट हैं" निरसित की गई ।

[6] 1881 के अधिनियम सं० 14 की धारा 14 द्वारा मद 5, "बनारस के महाराजा की पारिवारिक रियासत, जिसमें निम्नलिखित परगने समाविष्ट हैं :—मिर्जापुर जिले में भदोई और खेयरा मंगरोर; बनारस जिले में कसवा राजा" निरसित की गई है ।

[7] लहौल और स्पिति को छोड़कर, ये जिले 15 अगस्त, 1947 से भारत का भाग नहीं रहे ।

भाग 6

[1]मध्य प्रान्त के अनुसूचित जिले

छत्तीसगढ़ जमींदारी

1. खरियार ।
2. विन्द्रा नवागढ़ ।
3. सहजपुर ।
4. गंडई ।
5. सिलहटी ।
6. बरबसपुर ।
7. ठाकुरटौला ।
8. लौहारा ।
9. गोंडरडेही ।
10. फिंगेस्वर ।
11. पंडरिया ।
12. पेंड्रा ।
13. मतील ।
14. अपरोरा ।
15. केंडा ।
16. लपहा ।
17. छुरी ।
18. कौरवा ।
19. चापा ।
20. बोरा संभर ।
21. फूलझाड़ ।
22. कोलबीरा ।
23. रामपुर ।

चांदा जमींदारी

1. अहिरी ।
2. अम्बागढ़ चौकी ।
3. औंधी ।
4. धनोरा ।
5. दूधमाला ।
6. गेवरदा ।
7. झाड़ापापर ।
8. खुटगां ।
9. कोरछा ।
10. कोटगाल ।
11. भुरमगांव ।
12. पानबरस ।
13. पलासगढ़ ।
14. रंगी ।
15. सिरसुंदी ।
16. सोंसरी ।
17. चंदला ।
18. गिलगांव ।
19. पवी मुतंडा ।
20. पाटेगांव ।

छिंदवाड़ा जागीरदारी

1. हर्रई ।
2. छतेर ।
3. गोरखघाट ।
4. गोरपानी ।
5. बखतगढ़ ।
6. बरदागढ़ ।
7. पचमढ़ी ।
8. प्रतावगढ़ ।
9. अलमोद ।
10. सोनपुर ।
11. बरियम पगरा ।

[1] अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) के अर्थ में नुगूर, अल्वाका और चेरला ताल्लुक, जो 1 जुलाई, 1909 से मद्रास प्रेसिडेंसी को अंतरित हो गए थे, 17 जनवरी, 1905 से अनुसूचित जिले बन गए ।

भाग 7

कुर्ग की मुख्य कमिश्नरी

भाग 8

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह की मुख्य कमिश्नरी

भाग 9

अजमेर और मेरवाड़ा की मुख्य कमिश्नरी

भाग 10

[1]आसाम की मुख्य कमिश्नरी

[भाग 11—अराकान का पहाड़ी भू-भाग ।] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

[भाग 12—मानपुर परगाना ।] निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

[भाग 13—मोरार छावनी ।] निरसन और संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) द्वारा निरसित

सातवीं अनुसूची—[**अधिनियमितियां निरसित ।**]—निरसन अधिनियम, 1876 (1876 का 12) द्वारा निरसित ।

———

[1] अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) के प्रयोजन के लिए लुशाई पहाड़ियां, जिसमें उत्तर और दक्षिण लुशई पहाड़ियां तथा नागा पहाड़ी जिले का मोकोकचुंग उप-खण्ड सम्मिलित है, अनुसूचित जिले बन गए, किन्तु इस अधिनियम के अर्थ में वे अनुसूचित जिले नहीं हैं ।